



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 6 अप्रैल, 2010/16 चैत्र, 1932

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-2, 30 मार्च, 2010

संख्या वि०स०-लैज-गवननमैट बिल/१-१३/२०१०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक-4) जो आज दिनांक 30 मार्च, 2010

को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरास्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव, हिं0 प्र0 विधान सभा ।

2010 का विधेयक संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के इक्सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 है।
संक्षिप्त नाम और विस्तार।
- (2) इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश के समस्त स्थानीय क्षेत्रों में होगा।
- 2.** इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध परिभाषाएं न हो,—

 - (क) “स्थानीय क्षेत्र में माल लाना” से राज्य के बाहर किसी स्थान सहित, स्थानीय क्षेत्र के अन्दर इसको लाते हुए, स्थानीय क्षेत्र में इसके उपभोग, उपयोग या उसमें विक्रय के लिए, माल का प्रवेश कराना या स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र के अन्दर इसका लाया जाना अभिप्रेत है;
 - (ख) “किसी स्थानीय क्षेत्र में मोटर यान लाना” से राज्य के बाहर किसी स्थान सहित, स्थानीय क्षेत्र के अन्दर इसको लाते हुए स्थानीय क्षेत्र में इसकी खपत, उपयोग या उसमें विक्रय के लिए, मोटर यान का प्रवेश कराना या स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र के अन्दर इसका लाया जाना अभिप्रेत है;

(ग) “कारबार” के अन्तर्गत है,—

- (i) व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण की प्रकृति का कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, कोई प्रोद्यम या समुत्थान चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान लाभ कमाने हेतु किया जाता है या नहीं और चाहे उससे कोई लाभ प्रोद्भूत होता है या नहीं; और
- (ii) ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से सम्बन्धित या प्रासंगिक कोई संव्यवहार;

(घ) “आयुक्त” से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त अभिप्रेत है;

(ङ) “व्यौहारी” से ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो कारबार के अनुक्रम में, चाहे अपनी ओर से या किसी प्रमुख (प्रिंसीपल) की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी माल को स्थानीय क्षेत्र में लाता है या परिदान करता है या किसी स्थानीय क्षेत्र में उसके प्रवेश पर माल का परिदान करने का हकदार है, अभिप्रेत है; और इसके अन्तर्गत कोई आकस्मिक व्यौहारी तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खण्ड (छ), के स्पष्टीकरण—I, स्पष्टीकरण-II, स्पष्टीकरण-III सहित, उप-खण्डों (i), (ii), (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट समस्त अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित हैं ;

(च) “किसी स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश” से राज्य से बाहर के किसी स्थान सहित, किसी बाहर के स्थान से, इसके सभी व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए माल का प्रवेश अभिप्रेत है;

(छ) किसी व्यौहारी के सन्दर्भ में “सकल आवर्त” से माल के मूल्य की संकलित रकम, जिसे ऐसा व्यौहारी, किसी दी गई अवधि के दौरान

किसी स्थानीय क्षेत्र में इसके उपभोग या उपयोग के लिए लाता है या प्राप्त करता है, अभिप्रेत है;

- (ज) “स्थानीय प्राधिकरण सम्बन्धी विधि” से, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994, छावनी अधिनियम, 2006, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है;
- (झ) “स्थानीय क्षेत्र” से स्थानीय प्राधिकरण की परिसीमाओं में समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ज) “स्थानीय प्राधिकरण” से स्थानीय प्राधिकरण सम्बन्धी विधि के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ट) स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में “स्थानीय माल” से उस स्थानीय क्षेत्र में प्रविष्ट माल से सुभिन्न (अलग) स्थानीय मूल का माल अभिप्रेत है;
- (ठ) “किसी माल की प्राप्ति” से किसी माल का परिदान या कब्जा लेना, अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल को प्राप्त करवाना, चाहे वह वास्तविक या रचनात्मक है, अभिप्रेत है;
- (ड) “अनुसूची” से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ढ) “राज्य” से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
- (ण) “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (त) “कर” से इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है;
- (थ) “कराधेय आवर्त” से धारा 7 के अधीन यथा अवधारित कर के लिए दायी माल के मूल्य की संकलित रकम, अभिप्रेत है;
- (द) “मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ध) “संकर्म संविदा” से निम्नलिखित संकर्मों हेतु नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए कोई करार अभिप्रेत है:—

(i) किसी भवन, सड़क, पुल या किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति का सन्निर्माण, सुसज्जा, सुधार, रख—रखाव या मरम्मत; या

(ii) किसी जंगम सम्पत्ति का विनिर्माण, प्रसंस्करण, गढ़न (फेब्रिकेशन), परिनिर्माण, संस्थापन, सुसज्जा, सुधार, परिवर्तन, मरम्मत, संपरिवर्तन, कमिशन; और

(न) “वर्ष” से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) उन पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं और हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

(3) इस अधिनियम में “माल का प्रवेश किया गया है” पद के व्याकरणीय रूपमेदों और सजातीय पदों का, चाहे पृथकतः या अन्य शब्दों के संयोजन में प्रयुक्त किया गया हो, के किसी निर्देश के अन्तर्गत, जहां कहीं भी आवश्यक हो “माल के प्रवेश को कारित किया गया” के निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा।

कर का
भार। 3. (1) व्यौहारी के कारबार के दौरान, अनुसूची –2 में विनिर्दिष्ट माल के प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या वहां विक्रय के लिए प्रवेश पर कर को उद्गृहीत और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर, अनुसूची –2 के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर व्यौहारी के कराधेय आवर्त पर संदेय होगा और ऐसा कर, प्रत्येक व्यौहारी द्वारा संदत्त किया जाएगा।

(3) प्रत्येक व्यौहारी, जो एक वर्ष में एक लाख रूपए मूल्य का कोई माल, विनिर्माण में उपयोग या माल के प्रसंस्करण के लिए स्थानीय क्षेत्र में लाता है और प्रत्येक अन्य व्यौहारी, जो एक वर्ष में दो लाख रूपए के मूल्य का कोई माल, स्थानीय क्षेत्र में लाता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के लिए दायी होगा।

(4) उपधारा (1), (2) या (3) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई कर, निम्नलिखित की बाबत उद्गृहीत नहीं किया जाएगा—

- (i) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल ;
- (ii) अनुसूची-2 की क्रम संख्या 6 और 7 पर विनिर्दिष्ट माल के सिवाय, ऐसा माल जिस पर मूल्य परिवर्धित कर संदत्त किया जा चुका हो या राज्य को संदेय हो ;
- (iii) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट ऐसा माल, जिसे स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात्, उसी रूप में राज्य के बाहर या अन्तर्राज्य व्यापार अथवा वाणिज्य या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान, विक्रय किया जाता है; और
- (iv) ऐसा माल जिसके प्रवेश पर निर्धारण प्राधिकारी के समाधान के अनुसार यह साबित हो जाता है कि ऐसे माल पर पहले ही इस अधिनियम के अधीन प्रवेश कर लगाया गया है:

परन्तु यदि कोई व्यौहारी, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल को पुनः विक्रय के प्रयोजन के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करवाता है, जब ऐसे माल का, उसके पुनः विक्रय से भिन्न किसी भी रूप में उपभोग करता है या ऐसे माल का किसी अन्य रीति में व्यवहार करता है, तो वह ऐसे माल की बाबत, कर के संदाय के लिए दायी होगा:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जब कोई व्यौहारी, अपने कारबार के दौरान इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के लिए दायी है, रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति या व्यौहारी से माल का क्रय करता है, जिसने ऐसे माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश ऐसे क्रय से पूर्व किया है, तो कर उस व्यौहारी द्वारा संदत्त किया जाएगा, जिसने ऐसे माल को क्रय किया है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए, किसी उपभोग या उपयोग के लिए स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश, कारबार के दौरान, माल का प्रवेश समझा जाएगा और वह व्यक्ति, जिसने ऐसे माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश किया है, व्यौहारी समझा जाएगा।

(5) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अनुसूची-1 या अनुसूची-2 में किसी माल को उसमें समाविष्ट या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी या कर की दरों सहित इन अनुसूचियों को अन्यथा संशोधित कर सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूचियां तदानुसार संशोधित की गई समझी जाएंगी।

मोटर यानों पर कर के उद्ग्रहण के विशेष उपबन्ध।

4. (1) इस अधिनियम की धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, उपयोग या विक्रय के लिए किसी मोटर यान के किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, परन्तु ऐसा मोटर यान, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण चिन्ह(मार्क) समुनुदेशित करने के लिए दायी होगा:

परन्तु मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन कृत्यशील कोई भी रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन प्राधिकारी, तब तक ऐसे मोटर यान को रजिस्टर नहीं करेगा, जब तक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति, इस धारा के अधीन निर्धारण प्राधिकारी से संदेय कर को जमा करने का सबूत प्रस्तुत नहीं कर देता:

परन्तु यह और कि उस मोटर यान की बाबत, जो उस तारीख से पूर्व, जिसको यह उस अधिनियम के अधीन राज्य में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, पन्द्रह मास या अधिक अवधि के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन किसी राज्य क्षेत्र या किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत किया गया था, से कोई कर उद्गृहीत और संदत्त नहीं किया जाएगा।

(2) मोटर यान के क्रय मूल्य पर उद्गृहीत कर, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन अधिसूचित मूल्य परिवर्धित कर की दर और मोटर यान के क्रय से सम्बंधित बीजक में यान के विक्रय पर प्रभारित मूल्य परिवर्धित कर या केन्द्रीय विक्रय कर की दर के बीच के अन्तर के बराबर की दर पर होगा:

परन्तु इस धारा के प्रयोजन के लिए राज्य में लागू मूल्य परिवर्धित कर की दर, मोटर यान के क्रय से सम्बद्ध बीजक में वर्णित तारीख से ली जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि मोटर यान के क्रय के सम्बन्ध में कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है या यदि बीजक सम्बद्ध राज्य में लागू यथास्थिति, मूल्य परिवर्धित कर की दर या केन्द्रीय विक्रय कर नहीं दर्शाता है, तो इस धारा के अधीन उद्गृहीत कर की दर, निर्धारण की तारीख को हिमाचल प्रदेश में लागू मूल्य परिवर्धित कर की दर पर संगणित करके प्रभारित की जाएगी।

5. जहां कोई व्यक्ति किसी मोटर यान को, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन किसी संघ राज्य क्षेत्र या किसी अन्य राज्य में इसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पन्द्रह मास की अवधि के भीतर, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में लाता है और ऐसा प्रवेश, राज्य में, ऐसे संघ राज्य क्षेत्र या राज्य से उसके निवास के स्थान के बदलने के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो आयुक्त या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस सम्बन्ध में उसे किए गए आवेदन पर, लिखित में आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को इस सम्बन्ध में, सबूत को प्रस्तुत करने के अध्यधीन, ऐसे यान के प्रवेश पर, प्रवेश कर के संदाय से छूट दे सकेगा।

कतिपय परिस्थितियों में मोटर यानों पर कर की छूट।

6. धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन व्यौहारी द्वारा या धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर, निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार उद्गृहीत किया जाएगा:-

धारा 3 के अधीन कर उद्गृहीत करने के सिद्धांत।

- (क) कर तब तक देय नहीं होगा, जब तक व्यौहारी या अन्य व्यक्ति, अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करवाता;
- (ख) जब ऐसे किसी माल का, यथास्थिति, किसी व्यौहारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय किया जाता है, तो जब तक उसके द्वारा प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे माल का उस स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए प्रवेश किया गया है; और

(ग) जब कोई व्यौहारी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल का, स्थानीय क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति या व्यौहारी से क्रय करता है, जो रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी नहीं है, तो जब तक उसके द्वारा प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, यह उपधारणा की जाएगी कि उस द्वारा ऐसे माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश, ऐसे व्यौहारी द्वारा क्रय किए जाने से पूर्व किया गया था।

सकल आवर्त्तन 7. (1) किसी अवधि के लिए कराधेय आवर्त्त की संगणना करते समय, से कटौतियां। कोई व्यौहारी, उस अवधि के दौरान, माल के अपने सकल आवर्त्त में से निम्नलिखित कटौती कर सकेगा, –

- (क) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल का मूल्य;
- (ख) माल का मूल्य, जो उपयोग, उपभोग या विक्रय किए बिना स्थानीय क्षेत्र के बाहर परिदृष्ट किया गया है;
- (ग) माल का मूल्य, जो चाहे ऐसे रूप में या उसी रूप में इस अधिनियम के अधीन एक बार कर के अध्यधीन कर दिया गया है; और
- (घ) ऐसे अन्य माल का मूल्य, जिस पर विशेष रूप से छूट दी गई है या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन कराधेय नहीं है।

स्पष्टीकरण।—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए केवल ऐसे माल के मूल्य की कटौती अनुज्ञेय होगी, जो व्यौहारी के सकल आवर्त्त का भाग रूप है और यदि कतिपय माल के मूल्य की एक खण्ड के अधीन कटौती की गई है, तब किसी अन्य खण्ड के अधीन इसकी कटौती नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन दावाकृत कटौतियाँ, ऐसे सबूत के, ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुतिकरण के अध्यधीन होंगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए। निर्धारण प्राधिकारी, प्रस्तुत किए गए सबूत की मौलिकता तथा शुद्धता के बारे में अपने समाधान के लिए किसी सुसंगत साक्ष्य की मांग कर सकेगा।

8. जब किसी व्यौहारी या किसी व्यक्ति द्वारा, छावनी बोर्ड की कतिपय परिसीमाओं में समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर, प्रवेश कर देय है और छावनी बोर्ड द्वारा उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए माल के उस स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर, प्रवेश कर या चुंगी के रूप में कोई कर उद्गृहीत हो, तो ऐसा व्यौहारी या व्यक्ति, या तो छावनी बोर्ड को उसके द्वारा वास्तव में संदत्त किए गए कर का सबूत या इस अधिनियम के अधीन देय कर के बराबर की रकम, जो भी कम हो, की छूट (सैट-ऑफ) का हकदार होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई छूट(सैट-ऑफ) तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी, जब तक ऐसा व्यौहारी या व्यक्ति, छावनी बोर्ड द्वारा वसूलीय कर या चुंगी संदत्त करने का प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर देता ।

9. (1) यह साबित करने का भार व्यौहारी पर होगा, कि – सबूत का भार ।

(क) उसने अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल का उपभोग, उपयोग, या विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है ;

(ख) उसने संकर्म संविदा के निष्पादन में उपभोग या उपयोग के लिए किसी माल का, स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करवाया है;

(ग) वह कराधेय क्रय मूल्य की संगणना के प्रयोजन के लिए स्थानीय माल के मूल्य के सम्बन्ध में कटौती का हकदार है;

(घ) स्थानीय क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति या व्यौहारी से, जो रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी नहीं है, क्रय किया गया माल, उस द्वारा क्रय किए जाने से पूर्व उस स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं हुआ था; और

(ङ) वह कराधेय आवर्त की संगणना में किसी अन्य कटौती का हकदार है ।

(2) स्थानीय माल के क्रय मूल्य की बाबत, जिसका उपभोग, उपयोग या विक्रय उसी स्थानीय क्षेत्र में किया गया है, जिसके सम्बन्ध में ऐसा माल स्थानीय

माल है, कटौती के दावे के प्रयोजन के लिए व्यौहारी, धारा 11 की उपधाराओं (1) और (2) में उपबन्धित ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से, जिससे उसने उस स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय माल का क्रय किया है, धारा 11 में विनिर्दिष्ट रीति में अभिप्राप्त बिल, बीजक या नकद पर्ची पेश करेगा ।

रजिस्ट्रीकरण ।

10. प्रत्येक व्यौहारी, जो इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कर संदत्त करने का दायी है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी होगा :

परन्तु यदि ऐसा व्यौहारी, हिमाचल प्रदेश मूल्य कर परिवर्धित अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, तो वह इस अधिनियम के 2005 का 12 अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा ।

रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों द्वारा इस अभिव्यक्ति का बिल इत्यादि जारी किया जाना कि विक्रीत माल स्थानीय माल है ।

11. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी जो, अपने कारबार के दौरान अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी माल का स्थानीय क्षेत्र में ऐसी रीति से विनिर्माण, उत्पादन या पैदावार करता है, कि माल उस स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय माल बन जाता है, ऐसे स्थानीय माल को, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को विक्रय करने पर विनिर्दिष्ट रूप से इस अभिव्यक्ति का बिल, बीजक या नकद पर्ची जारी करेगा, कि विक्रय किया जा रहा माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय माल है और ऐसे माल पर कोई प्रवेश कर संदत्त नहीं किया गया है ।

(2) जब उपधारा (1) में वर्णित माल का, उनके कारबार के दौरान, श्रृंखलाबद्ध के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों द्वारा क्रय या विक्रय किया जाए, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति का विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, बिल या बीजक या नकदी पर्ची जारी करेगा ।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, स्थानीय माल के क्रयों और उपभोग, उपयोग या विक्रय का अलग लेखा रखेगा और उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसके सम्बन्ध में माल स्थानीय माल है, उस द्वारा किए गए स्थानीय माल के विक्रय के लिए अलग बिल पुस्तक और बीजक रखेगा ।

(4) जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी—

(क) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपने कारबार के दौरान स्थानीय माल का, अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को विक्रय करता है और उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति देने में असफल रहता है;

(ख) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कारबार के दौरान उस द्वारा क्रय किए गए स्थानीय माल का, अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को विक्रय करता है और उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित बिल, नकद पर्ची या बीजक जारी नहीं करता है ;

तो यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस प्रकार विक्रय किए गए माल पर प्रवेश कर के अपवंचन को सुकर बनाया है और तदानुसार वह ऐसे माल पर देय प्रवेश कर की रकम से डेढ़ गुना के बराबर शास्ति के संदाय के लिए प्रत्येक ऐसे उल्लंघन के लिए दायी होगा, मानों वह स्थानीय मूल का माल नहीं था ।

12. इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धाराएं 3, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 63 और 64 तथा उनके अधीन जारी या लागू किए गए नियम, आदेश तथा अधिसूचनाएं, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और देय प्रवेश कर के सम्बन्ध में व्यौहारी पर लागू होंगी, मानों ये धाराएं यथा आवश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम में सम्मिलित की गई थी और इन धाराओं के अधीन लागू किए गए नियम, आदेश और अधिसूचनाएं, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम में इस प्रकार सम्मिलित की गई सुसंगत धाराओं के अधीन जारी किए गए थे ।

13. इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन, कर का निर्धारण, पुनर्निर्धारण, वसूली करने और कर के संदाय का प्रवर्तन करने के लिए तत्समय सशक्त निर्धारण, वसूली इत्यादि ।

प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संदेय किसी ब्याज या शास्ति सहित, कर का निर्धारण, पुनर्निर्धारण, वसूली या कर के संदाय का प्रवर्तन करेगा।

आदेशों की अंतिमता।

14. इस अधिनियम में अभिव्यक्ततः उपबन्धित के सिवाय, निर्धारण प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, अन्तिम होगा और किसी मूल बाद, आवेदन या निष्पादन या कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं होगा और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अधीन की गई या की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में या भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जाने वाली किसी वसूली के सम्बन्ध में, किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा व्यादेश मन्जूर नहीं किया जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

15. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर के उद्ग्रहण और संग्रहण को सुनिश्चित करने और साधारणतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम से संगत, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर पन्द्रह दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे, जो एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों, या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियमों में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2005 के अधिनियम संख्यांक 16 का निरसन।

16. हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2005 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

अनुसूची-1
(धारा 2 और 3 देखें)

क्रम संख्या	माल	छूट की शर्त
1.	हस्त परिचालित और पशु द्वारा चलाए जाने वाले कृषि उपकरण ।	—
2.	किसी व्यक्ति द्वारा या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा विक्रीत/जड़ी बूटियों या सैपलिंग सहित कृषि या बागवानी उपज जो उसके द्वारा स्वयं उगाई गई हों या ऐसी किसी भूमि पर उगाई गई हो जिसमें उसका कोई हित, चाहे स्वामी या भोग बन्धकदार या अभिधारी के रूप में या अन्यथा हो ।	—
3.	विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए गए साधन और उपकरण ।	—
4.	पशुदाना (ऐनीमल फीड) और दाना परिपूरक अर्थात् मुर्गीदाना, पशुदाना (कैटल फीड), सुअर दाना, मछली दाना, मत्स्य भोजन, प्रॉन फीड, श्रिम्प फीड, और दाना परिपूरक के रूप में विक्रीत प्रसंस्कृत वस्तु के रूप में, घास, सूखी घास और भूसा, दालों के छिलके (भूसी), गेहूँ का चोकर, एडीटिव और डी-आयॅलड कैक सहित, दाना परिपूरकों के रूप में प्रयोग के लिए आशयित खनिज मिश्रण सान्द्र ।	—
5.	कृषि प्रयोजनों में प्रयुक्त बांस से निर्मित वस्तुएं ।	—
6.	बान ।	—
7.	सभी प्रकार की चूड़ीयां (मंहगी धातुओं से निर्मित के सिवाय) ।	—
8.	मानचित्र, चार्ट और ग्लोब सहित पुस्तकें, पत्रिकाएं और जरनल्ज ।	—
9.	ब्रेड ।	—
10.	चारकोल ।	—
11.	चरखा, अम्बर चरखा; हथकरघे, हिमाचली हथकरघों से निर्मित वस्तुएं, लोई और पट्टू सहित हिमाचली हथकरघा शालें, टोपियां और हैण्ड स्पन यार्न और गांधी टोपी ।	—
12.	रासायनिक खाद, रासायनिक खाद का मिश्रण, जैविक खादें और माइक्रोन्यूट्रीएन्ट, वनस्पति विनियामक और वनस्पति वृद्धि न्यूट्रीएन्ट ।	—
13.	धान, चावल और गेहूँ से भिन्न मोटा अनाज ।	—

1	2	3
14.	निरोध (कन्डोम) और गर्भनिरोधक ।	—
15.	अटिटयों में कपास सूत और अटिटयों में रेशमी सूत ।	—
16.	दही, लस्सी, बटर मिल्क और सेपरेटिड मिल्क ।	—
17.	मिट्टी के बर्तन (अनग्लेज्ड) ।	—
18.	विद्युत ऊर्जा ।	—
19.	जलाने की लकड़ी ।	जब घरेलू उपयोग के लिए विक्रय की जाए ।
20.	मछली जाल, मछली जाल का धागा और फिश सीडज ।	—
21.	भारत सरकार द्वारा मुफ्त में दिया जाने वाला अनाज, टारगेटड पी.डी.एस.(बी.पी.एल.), अन्तोदय अन्नयोजना और अन्नपूर्णा योजना ।	—
22.	ताजा फल ।	—
23.	ताजा दूध और पासच्यूराज्ड मिल्क ।	—
24.	ताजा पौधे, पौध और ताजा फूल ।	—
25.	ताजी सब्जियां ।	—
26.	लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, आलू, शकरकन्द, टेपिओका और उनके बीज ।	—
27.	केन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा सेना में सेवारत कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों को सीधे विक्रीत माल ।	—
28.	विनिर्माण के पश्चात् या अन्यथा, सीमा शुल्क बॉण्ड के अधीन पुनर्निर्यात के लिए लिया गया माल ।	—
29.	ग्रेफाइट पेन्सिल, लिखने वाले चॉक, लिखने वाली स्लेट और स्लेट पैन्सिल, क्रेआॅन, स्कैच पैन, ड्राइंग कलर इरेजर, रबर, शार्पनर, फुटरूल, रेखा गणित बॉक्स, स्याही की टिक्की, स्कूलों में प्रयुक्त की जाने वाली अभ्यास और चित्रकला पुस्तकें और विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली तख्तियां ।	—
30.	गुड़ और जैगरि ।	—
31.	हवन सामग्री ।	—
32.	मानव रक्त और रक्त प्लाज़मा ।	—

1	2	3
33.	हाथ से बने हुए स्वदेशी संगीत वाद्य।	—
34.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विक्रीत मिट्टी का तेल।	—
35.	खादी के वस्त्र और खादी से निर्मित वस्तुएं।	—
36.	कृपाण।	—
37.	कुमकुम, बिन्दी, अल्ता और सिन्दूर।	—
38.	पत्तल और ढूने (जब कप्रैसड न हों)।	—
39.	मांस, मछली, प्रॉन और अन्य जलीय उत्पाद जो संसाधित या फ्रोजन न हो; अण्डे और पशुधन तथा जानवरों के बाल।	सील्ड डिब्बों में विक्रय किए गए के सिवाय।
40.	मिश्री, बताशा, फुलियां, मखाना और चिड़वा।	—
41.	राष्ट्रीय ध्वज।	—
42.	सरकारी खजानों द्वारा विक्रीत नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर; सरकार द्वारा विक्रीत पोस्टल वस्तुएं, जैसे कि लिफाफे, पोस्टकार्ड इत्यादि; रुपए का नोट जब उसे भारतीय रिजर्व बैंक को बेचा जाए और चैक चाहे अबद्ध या पुस्तिका के रूप में हो।	—
43.	जैविक खाद।	—
44.	पापड़।	—
45.	राखी।	—
46.	कच्ची ऊन (रॉ वूल)।	—
47.	नमक।	—
48.	तेल बीजों के सिवाय सभी प्रकार के बीज।	—
49.	जमे हुए वीर्य सहित वीर्य।	—
50.	कॉकून और कच्चा रेशम देने वाला रेशम का कीड़ा।	—
51.	कच्चा हरा नारियल।	—
52.	निम्नलिखित के सिवाय— (i) ऐरिएटेड मिनरल, डिस्टिल्ड, मेडिसिनल, ऑयोनिक, बैटरी, डी-मिनरलाइज्ड वाटर; और (ii) बन्द डिब्बों में विक्रय किया जाने वाला जल।	—

अनुसूची –2
 (धारा 2 और 3 देखें)

क्रम संख्या	माल	कर की दर
1	2	3
1.	डीजल, भट्टी का तेल और चिकनाई (लुब्रिकेन्ट)।	सात प्रतिशत।
2.	विस्फोटक।	पांच प्रतिशत।
3.	लोहा और इस्पात।	चार प्रतिशत।
4.	सीमेंट।	पांच प्रतिशत।
5.	राज्य में प्राइवेट व्यक्तियों सहित सरकारी विभागों/ निगमों/ बोर्डों द्वारा निष्पादित की जा रही हाइड्रोपावर और थर्मल पावर परियोजनाओं के उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं, दूरसंचार और अन्य टर्न की परियोजनाओं के संविदा संकर्मों में प्रयुक्त माल।	पांच प्रतिशत।
6.	तम्बाकूयुक्त पान मसाला और गुटका।	चार प्रतिशत।
7.	अनिर्मित तम्बाकू सहित सिगार, चुरूट, सिगरेट और तम्बाकू तम्बाकू का कचरा तथा बीड़ी और गुटका सहित अन्य तम्बाकू निर्मित उत्पाद।	चार प्रतिशत।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह सर्वविदित है कि जनसाधारण के उपयोग हेतु परिवहन के विकल्पी तरीकों की अप्राप्यता के कारण सड़कें, पुल और सहबद्ध अवसंरचना हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में जीवन रेखा का कार्य करते हैं। राज्य सरकार को राज्य में सड़कों और पुलों तथा अन्य प्रसुविधाओं के सन्निर्माण, विकास, मरम्मत, रख-रखाव और अनुरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष अपने संसाधनों का काफी बड़ा हिस्सा प्रदान करना पड़ता है, जिसके बिना विकास के सम्बन्ध में सोचा भी नहीं जा सकता। यद्यपि राष्ट्रीय या विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध करवाना संभव नहीं है, तथापि राज्य के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए कम से कम समुन्नत और संगत प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। किन्तु इन अनिवार्य प्रसुविधाओं के लिए धन उपलब्ध करवाने के आशय से राज्य के विद्यमान संसाधन बहुत ही कम हैं और उन पर अनिवार्य व्यय के लिए पूर्णतया अननुपातिक हैं। इसके अतिरिक्त राज्य, अन्य सम्बद्ध और आनुषंगी प्रसुविधाओं पर अतिरिक्त व्यय कर रहा है तथा राज्य में व्यक्तियों और सामग्री के सुरक्षित तथा सुविधाजनक पारगमन के विनियमन की लागत अधिकांशतः अप्रतिदत्त रह जाती है। परिणामतः व्यापार, वाणिज्य और यातायात के आवागमन के लिए इन अनिवार्य और न्यूनतम प्रसुविधाओं को प्रदान करने के लिए अदायगी हेतु राज्य द्वारा सड़कों और पुलों के सन्निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव पर किया गया उक्त व्यय, इन प्रसुविधाओं को जारी रखने के लिए बहुत ही कम है।

क्योंकि बढ़ती हुई व्यापारिक प्रसुविधाओं की मांग को पूरा करने के लिए और विविध आर्थिक क्रियाकलापों में लगे लोगों को सुविधाजनक संचलन प्रसुविधाओं तथा उपभोग या उपयोग हेतु माल सहित, कारबार उत्पाद के लिए इन अनिवार्य प्रसुविधाओं को जारी रखना और स्वपोषी बनाना राज्य के लिए आवश्यक है। इन प्रयोजनों के लिए, माल के उपभोग, उपयोग या उसमें विक्रय के लिए, स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर के उद्ग्रहण का विनिश्चय किया गया है। पहले से ही चुंगी के कार्यान्वयन में सामने आई कठिनाईयों को दूर करने के आशय से, सुविधाजनक कर अनुपालना के विषय में उद्ग्रहण के दिशा-निदेश किए जाने हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :.....

तारीख :.....

वितीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 और 4 अनुसूची-2 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट माल पर इसके स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर माल के उपभोग, उपयोग या उसमें विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर के उद्ग्रहण का प्रस्ताव करते हैं। विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने पर राजकोष को प्रतिवर्ष लगभग पचास करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। क्योंकि विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने के पश्चात् विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं, इससे कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 15 इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें (संख्या: ई0 एक्स0एन0-एफ0 (5)-7/2008)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2010 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरास्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 4 of 2010

**THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA
BILL, 2010**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*to provide for the levy and collection of a Tax on Entry of Goods
into Local Area in the State of Himachal Pradesh.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in
the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

- 1.** (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010. Short title and extent.
- 2.** (1) In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,— Definitions.
 - (a) “bring goods into a local area” means causing the entry of goods into a local area by bringing them inside the local area or causing the goods to be brought inside the local area from any place outside the local area including a place outside the State for consumption, use or sale therein;
 - (b) “bring motor vehicle into a local area” means causing the entry of motor vehicle into a local area by bringing it inside the local area or causing it to be brought inside the local area from any place outside the local area including a place outside the State for consumption, use or sale therein;

(c) “business” includes,—

(i) any trade, commerce, manufacture, any adventure or concern, in the nature of trade, commerce or manufacture, whether or not; such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make profit and whether or not any profit accrues therefrom; and

(ii) any transaction in connection with or ancillary to such trade, commerce, manufacture, adventure or concern;

(d) “Commissioner” means the Excise and Taxation Commissioner appointed under sub-section (1) of section 3 of the VAT Act;

(e) “dealer” means any person who, in the course of business, whether on his own account or on account of a principal or any other person, brings or causes to be brought into a local area any goods or takes delivery or is entitled to take delivery of goods on its entry into a local area and includes a casual dealer and all other persons specified in sub-clauses (i), (ii), (iii) and (iv), including Explanation-I, Explanation-II, Explanation-III, of clause (g) of section 2 of the VAT Act;

(f) “entry of goods into a local area” with all its grammatical variations and cognate expressions means entry of goods into a local area from any place outside thereof including a place outside the State for consumption, use or sale therein;

(g) “gross turnover” used in relation to any dealer means the aggregate amount of the value of goods which such dealer brings or receives in any local area or consumption or use therein during any given period;

(h) “law relating to local authority” means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, the Cantonment Act, 2006, the

Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, as the case may be;

- (i) “local area” means the area comprised within the limits of a local authority;
- (j) “local authority” means an authority constituted under a law relating to local authority;
- (k) “local goods” in relation to a local area means goods of local origin as distinct from goods which enter into that local area;
- (l) “receives any goods” means to take delivery or possession of any goods, whether actual or constructive, or cause the goods to be received by any other person;
- (m) “Schedule” means a Schedule appended to this Act;
- (n) “State” means the State of Himachal Pradesh;
- (o) “State Government” means Government of Himachal Pradesh;
- (p) “tax” means the tax leviable under this Act;
- (q) “taxable turnover” means the aggregate amount of the value of the goods liable to tax as determined under section 7;
- (r) “VAT Act” means the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005;
- (s) “works contract” means any agreement for—
 - (i) the construction, fitting out, improvement, maintenance or repair of any building, road, bridge or any other immovable property; or
 - (ii) manufacture, processing, fabrication, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair,

conversion or commissioning of any movable property, for cash, deferred payment or other valuable consideration; and

(t) “Year” means the financial year.

(2) All those expressions, which are used but are not defined in this Act and are defined in the VAT Act, 2005, shall have the meanings assigned to them in that Act.

(3) Any reference in this Act to the expression “has effected entry of goods” with its grammatical variations and cognate expressions, whether used in isolation or in conjunction with any other words, shall, wherever necessary, be construed as including a reference to “has caused to be effected entry of goods”.

Incidence of taxation. **3.** (1) There shall be levied and paid to the State Government a tax on the entry, in the course of business of a dealer, of the goods specified in Schedule-II, into each local area for consumption, use or sale therein.

(2) The tax under sub-section (1) shall be payable on the taxable turnover of a dealer at the rates specified in column (3) of Schedule-II and such tax shall be paid by every dealer.

(3) Every dealer who brings any goods into a local area of a value of one lakh rupees in a year, for use in manufacture or processing of goods and every other dealer who brings into a local area any goods of the value of two lakh rupees in a year, shall be liable to pay tax under this Act.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1), (2) or (3), no tax under this section shall be levied—

(i) in respect of the goods specified in Schedule-I;

(ii) in respect of the goods on which Value Added Tax has been paid or has become payable to the State, except goods specified at Sr. Nos. 6 and 7 of Schedule-II;

- (iii) in respect of goods specified in Schedule-II, which after entry into a local area are sold in the same form outside the State or in the course of *inter-State* trade or commerce or in the course of export out of the territory of India; and
- (iv) in respect of goods on the entry of which it is proved to the satisfaction of the Assessing Authority that such goods have already been subjected to tax under this Act:

Provided that if any dealer who has effected entry of any goods specified in Schedule-II into a local area for the purpose of re-sale, consumes such goods in any form or deals with such goods in any other manner, except reselling the same, he shall be liable to pay tax in respect of such goods:

Provided further that notwithstanding anything contained in this Act, where a dealer liable to pay tax under this Act in the course of his business, purchases goods from a person or a dealer other than a registered dealer who has effected entry of such goods into the local area prior to such purchase, the tax shall be paid by the dealer who has purchased such goods.

Explanation.— For the purpose of this sub-section the entry of goods into a local area for consumption or use therein in the execution of a works contract shall be deemed to be the entry of goods in the course of business and the person who has effected the entry of such goods into a local area shall be deemed to be a dealer.

(5) The State Government may, by notification, add to or delete from the Schedule-I or Schedule-II any goods, or otherwise amend these Schedules, including rates of tax, and thereupon the Schedules shall be deemed to have been amended accordingly.

4. (1) Notwithstanding anything contained in section 3 of this Act, there shall be levied and collected a tax on the entry of a motor vehicle by a person into a local area for use or sale therein, provided that such motor vehicle is liable for registration or assignment of a new registration mark in the State under the Motor Vehicles Act, 1988:

Special provisions of levy of tax on motor vehicles.

Provided that no Registering and Licensing Authority, functioning under the Motor Vehicles Act, 1988, shall register such motor vehicle unless the person making application for registration furnishes proof of having deposited the tax payable under this section from the Assessing Authority:

Provided further that no tax shall be levied and paid in respect of a motor vehicle which was registered in any Union Territory or any other State under the Motor Vehicles Act, 1988, for a period of fifteen months or more before the date on which it is registered in the State under that Act.

(2) The tax shall be levied on purchase value of a motor vehicle at the rate equal to the difference between the rate of value added tax notified under the VAT Act and the rate of value added tax or the central sales tax charged, on the sale of the motor vehicle, in the invoice relating to the purchase of the vehicle:

Provided that for the purpose of this section, the rate of value added tax applicable in the State shall be taken as on the date mentioned in the invoice relating to the purchase of the motor vehicle:

Provided further that if no invoice in respect of purchase of the motor vehicle is produced or if the invoice does not show the rate of the value added tax applicable in the concerned State or the central sales tax, as the case may be, charged, then the rate of tax leviable under this section shall be calculated at the rate of value added tax applicable in Himachal Pradesh on the date of assessment.

Exemption of
tax on motor
vehicles in
certain
circumstances
59 of 1988.

5. Where any person brings a motor vehicle into a local area for his personal use within a period of fifteen months from the date of its registration in any Union Territory or any other State under the Motor Vehicles Act, 1988, and that such entry is occasioned as a result of shifting the place of his residence from such Union Territory or State into this State, the Commissioner or any other officer duly authorized by him, may, by order in writing, on application made to him in this regard, exempt such person from the payment of entry tax on entry of such vehicle subject to production of proof.

6. The tax payable by a dealer under sub-section (1) of section 3 or by any person under sub-section (1) of section 4 shall be levied in accordance with the following principles:-

Principles
governing
levy of tax
under section
3.

- (a) tax shall not be payable unless the dealer or other person effects entry of goods specified in the Schedule into a local area;
- (b) where any such goods are consumed, used or sold in a local area by a dealer or as the case may be, by such other person it shall be presumed until the contrary is proved by him, that such goods had entered into that local area for consumption, use or sale therein; and
- (c) when a dealer purchases goods specified in the Schedule in a local area from a person or a dealer who is not a registered dealer, it shall be presumed, unless the contrary is proved by him, that the entry of such goods had been effected by him into such local area before they were purchased by such dealer.

7. (1) In calculating the taxable turnover for any period, a dealer may deduct from his gross turnover of goods during that period, —

Deductions
from gross
turnover.

- (a) the value of goods specified in Schedule-I;
- (b) the value of goods which, without use, consumption or sale, have been delivered outside the local area;
- (c) the value of goods which have been subjected to tax once as such or in the same form under this Act; and
- (d) the value of such other goods as are specifically exempted or are not taxable under any provision of this Act.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, deduction of value of only such goods shall be admissible which forms part of gross turnover of the dealer and if value of certain goods has been deducted under one clause then it shall not be deducted under any other clause.

(2) The deductions claimed under sub-section (1) shall be subject to production of such proof in such form and in such manner as the State Government may notify. The Assessing Authority may ask for any relevant evidence to satisfy itself about the genuineness and correctness of the proof furnished.

Set off in certain cases.

8. Where entry tax is payable by a dealer or by any person in respect of the entry of goods into a local area comprised within the limits of a Cantonment Board and a tax in the nature of a tax or octroi is levied by the Cantonment Board on the entry of goods into that local area for consumption, use or sale therein, such dealer or person shall be entitled to a set off of an amount equal to either the tax proved to have been actually paid by him to the Cantonment Board or the tax payable under this Act, whichever is less:

Provided that no set off shall be admissible under this section unless such dealer or person furnishes the certified documentary evidence of having paid a tax or octroi recovered by the Cantonment Board.

Burden of proof.

9. (1) The burden of proving—

- (a) that a dealer has not effected the entry of any goods specified in the Schedule into a local area for consumption, use or sale therein;
- (b) that a dealer has not effected the entry of any goods into a local area for consumption or use therein in the execution of a works contract;
- (c) that a dealer is entitled to deduction in respect of value of local goods for the purpose of the computation of taxable purchase value;
- (d) that goods purchased by a dealer in a local area from a person or a dealer who is not a registered dealer had not entered into that local area before they were purchased by him; and

(e) that a dealer is entitled to any other deductions in computing the taxable turnover;

shall be on the dealer.

(2) For purposes of claiming deduction in respect of the purchase value of local goods which have been consumed, used or sold in the same local area in relation to which such goods are local goods, the dealer shall produce a bill, invoice or cash memo in the manner specified in section 11 obtained from the registered dealer from whom he has purchased the local goods in that local area as provided in sub-sections (1) and (2) of section 11.

10. Every dealer who is liable to pay tax under sub-section (1) of section 3 of this Act shall be liable to be registered under this Act: Registration.

12 of 2005

Provided that if such dealer is registered under the VAT Act, 2005, he shall be deemed to have been registered under this Act.

11. (1) Every registered dealer who, in the course of his business, manufactures, produces or grows any goods specified in the Schedule in a local area in such manner that the goods become local goods in relation to that local area, shall, on the sale of such local goods to any other registered dealer, issue to him a bill, invoice or cash memo, specifically stating that the goods being sold are local goods in relation to such local area and that no entry tax has been paid on such goods.

Registered dealers to issue bill etc. stating that goods sold are local goods.

(2) Where the goods mentioned in sub-section (1) are purchased and sold in the course of their business by a chain of registered dealers, the selling registered dealer shall issue a bill or invoice or cash memo, containing the statement referred to in sub-section (1).

(3) Every registered dealer referred to in sub-sections (1) and (2) shall maintain a separate account of purchases and consumption, use or sale of local goods and separate bill books and invoices for the sales of goods effected by him in the same local area in relation to which the goods are local goods.

(4) Where a registered dealer—

- (a) referred to in sub-section (1) or sub-section (2) has, in the course of his business, sold local goods to other registered dealer and has failed to make the statement referred to in sub-section (1), and
- (b) referred to in sub-section (2) in the course of business has sold local goods purchased by him to other registered dealer and a bill, cash memo or invoice has not been issued by him as required by sub-section (2),

it shall be presumed that he has facilitated evasion of tax on the local goods so sold and accordingly he shall be liable for each of such contravention to pay penalty equal to one and a half times the amount of entry tax payable on such goods as if they were not goods of local origin.

Certain provisions of VAT Act to apply.

12 of 2005

12. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the provisions of sections 3, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 63 and 64 of the VAT Act, 2005 and the rules, orders and notifications issued or applicable thereunder, shall *mutatis mutandis* apply to the dealer in respect of tax levied and payable under this Act as if these sections were *mutatis mutandis* incorporated in this Act and the rules, orders and notifications applicable under these sections were *mutatis mutandis* issued under the relevant sections as so incorporated in this Act.

Assessment, collection etc. of entry tax.

13. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the authorities for the time being empowered under the VAT Act, 2005, to assess, re-assess, collect and enforce payment of tax, including any interest or penalty payable under this Act, shall assess, reassess, collect and enforce payment of tax, including an interest or penalty levied and payable under this Act.

Finality of orders.

14. Save as otherwise expressly provided in this Act, every order made by an assessing authority, appellate authority or a revising authority under this Act, shall be final and shall not be called in question in any original

suit, application or execution or proceedings and no injunction shall be granted by any court or other authority, in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under the Act or in respect of any recovery to be made as an arrear of Land Revenue.

15. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules consistent with the Act, for securing the levy and collection of tax and generally for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of fifteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the Assembly agrees in making any modifications in the rules or the Assembly decides that the rule should not be made, such rules shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything done earlier under that rule.

16. The Himachal Pradesh Local Area Development Tax Act, 2005 is hereby repealed.

Repeal of
Act No. 16
of 2005.

SCHEDULE-I
(See sections 2 and 3)

Sl. No.	Goods	Conditions of exemption
1	2	3
1.	Agricultural implements manually operated or animal driven.	—
2.	Agriculture or horticulture produce, including herbs or saplings of trees sold by person or a member of his family, grown by himself or grown on any land in which he has an interest whether as owner or usufructuary mortgagee, tenant or otherwise.	—
3.	Aids and implements used by handicapped persons.	—
4.	Animal feed and feed supplements, namely, processed commodity sold as poultry feed, cattle feed, pig feed, fish feed, fish meal, prawn feed, shrimp feed and feed supplements and mineral mixture concentrates, intended for use as feed supplements including grass, hay and straw, Husk of Pulses, wheat bran, Additives & Deoiled cakes.	—
5.	Articles made of bamboo-wood used for agricultural purposes.	—
6.	Baan.	—
7.	Bangles of all types (except those made of precious metals).	—
8.	Books, periodicals and journals including maps, charts & Globe.	—
9.	Bread.	—
10.	Charcoal.	—
11.	Charkha, Ambar Charkha; handlooms, Himachali handloom articles, Himachali handloom shawls including 'Loi' & 'Pattu', caps and handspun yarn, and Gandhi Topi.	—
12.	Chemical fertilizers and chemical fertilizer mixtures; Bio fertilizers & micronutrients, plant regulators and plant growth nutrients.	—
13.	Coarse grains other than paddy, rice and wheat.	—
14.	Condoms and contraceptives.	—
15.	Cotton yarn in hank and silk yarn in hank.	—

1	2	3
16.	Curd, lassi, butter milk and separated milk.	
17.	Earthen wares (unglazed).	—
18.	Electric Energy.	—
19.	Fire wood.	When Sold for domestic use
20.	Fishnet, fish fabrics and fish seeds.	—
21.	Foodgrains supplied free of cost by the Government of India, Targeted P.D.S.(B.P.L.), Antodya Anna Yojna & Annapurna Yojna.	—
22.	Fresh fruits.	—
23.	Fresh milk and pasteurised milk.	—
24.	Fresh plants, sapling and fresh flowers.	—
25.	Fresh vegetables.	—
26.	Garlic, ginger, green chillies, onions, potatoes, sweet potatoes, tapioca and their seeds.	—
27.	Goods sold to the serving military personnel and ex-servicemen by the Canteen Store Department direct.	—
28.	Goods taken under customs bond for re-export after manufacturing or otherwise.	—
29.	Graphite pencils, writing chalk, Writing Slate & Slate Pencils, crayons, sketch, pens, drawing colour eraser, sharpener, footrules, geometry boxes, ink tablets, exercise and drawing books of the type used in schools and takhties used by students.	—
30.	Gur & Jaggery.	—
31.	Hawan Samagri.	—
32.	Human blood and blood plasma.	—
33.	Indigenous handmade musical instruments.	—
34.	Kerosene oil sold through Public Distribution System.	—
35.	Khadi Garments & madeups.	—
36.	Kirpan.	—
37.	Kumkum, bindi, alta and sindur.	—

1	2	3
38.	Leaf plates and leaf-cups (when not compressed).	—
39.	Meat, fish, prawn and other aquatic products when not cured or frozen; eggs and live stock and animal hair.	Except when sold in sealed containers
40.	Misri, Patasha, Fullian, Makhana and Chirbara.	—
41.	National flag.	—
42.	Non-Judicial stamp paper sold by Government Treasuries; postal items like envelope, postcard etc. sold by Government; rupee note when sold to the Reserve Bank of India and cheques, loose or in book form.	—
43.	Organic manure.	—
44.	Papad.	—
45.	Rakhi.	—
46.	Raw wool.	—
47.	Salt.	—
48.	Seeds of all kinds except oil seeds	—
49.	Semen including frozen semen.	—
50.	Silk worm laying cocoon and raw silk.	—
51.	Tender green coconut.	—
52.	Water other than— (i) aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, demineralised water, and (ii) water sold in sealed container.	

SCHEDULE-II

[See sections 2 and 3]

Sr.No.	Goods	Rate of tax
1.	Diesel, furnace oil and lubricants.	7%
2.	Explosives.	5%
3.	Iron and Steel.	4%
4.	Cement.	5%
5.	Goods used in works contracts, including hydropower and thermal power projects generation, transmission and distributions projects, telecommunications and all other turnkey projects being executed by private as well as Govt. Deptt./Corporations/Board etc. in the State.	5%
6.	Pan Masala and gutka containing tobacco.	4%
7.	Cigars, Cheroots, Cigarettes including un-manufactured tobacco and tobacco, tobacco refuse and other manufactured tobacco products, including bidies and gudaka.	4%

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It is well known that due to non-availability of alternative modes of transport for mass use, roads, bridges and allied infrastructure constitute life-line in the hilly terrain of Himachal Pradesh. Every year the State Government has to dedicate a sizable component of its resources for the construction, development, repair, upkeep and maintenance of roads and bridges and other facilities in the State without which any development is unthinkable. It may although not be feasible to provide infrastructure of national or world class standard, yet it is essential to provide atleast improved and compatible facilities to ensure State's economic development. But, in order to finance these essential facilities, the existing resources of the State are far deficient and absolutely not in-commensurate with the essential expenditure thereon. Besides, the State is incurring further expenditure on other connected and ancillary facilities and the cost of regulation of safe and convenient transit of men and materials in the State largely remains uncompensated. Consequently, the recompense for providing these essential and minimum facilities for trade, commerce and flow of traffic, the above expenses incurred by the State on the construction, repair and upkeep of the roads and bridges is too deficient to sustain these facilities.

Since, it is incumbent for the State to meet the expanding requirements of trading facilities and to provide better and convenient movement facilities to people engaged in multifarious economic activities and also for the business produce including the goods for consumption or use, it is essential to make these facilities ongoing and self-sustaining. For these purposes, it has been decided to levy a tax on the Entry of Goods into Local Area for consumption, use or sale therein. In order to avoid the difficulties faced in implementing the erstwhile octroi, the levy has been oriented towards convenient tax compliance.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

Shimla:
The2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 3 and 4 of the Bill proposes to levy tax on entry of goods into local areas for consumption, use or sale therein on the goods specified in column (2) of Schedule-II at the rates specified in column (3) thereof. The provisions of the Bill when enacted are estimated to yield about 50 crore rupees per annum to the State exchequer. As the provisions of the Bill after being enacted are to be enforced by the existing Government machinery, no additional expenditure will be involved.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 15 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Bill. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(No. EXN-F(5)-7/2008)

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Bill, 2010, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.